>

Title: Need to expedite rehabilitation of tribals displaced due to Tiger Project in Melghat, Amravati district, Maharashtra.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक आदिवासी क्षेत्र की दर्दभरी कहानी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेलघाट एक आदिवासी क्षेत्र है, जो मेरे अमरावती चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। मेलघाट में एक टाइगर प्रोजैक्ट भी है। इस टाइगर प्रोजैक्ट के बगल में एक जोरुदा गांव है। बुधवार चार तारीख को आठ बजे का समय था, इलाके में बिजली नहीं थी। एक भालू ने गांव में प्रवेश किया, जहां 1200 विद्यार्थियों का एक होस्टल है और उसके बगल में एक फॉरेस्ट ऑफिस है। जब भालू को वहां के चौकीदार ने देखा तो उसने अपनी कम्बल उसके ऊपर फैंक दी, वह बच गया, लेकिन भालू सीधा फिर फॉरेस्ट ऑफिस में गया जहां एक नौजवान फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसी दिन ड्यूटी ज्वाइन की थी। भालू ने उसे बाहर खींचकर मार दिया। उसकी मदद के लिए जब एक आदिवासी वहां आया तो भालू ने उसे भी मार दिया। वह आदिवासी एक हैडमास्टर था, जब उसकी मदद के लिए एक विद्यार्थी वहां आया तो भालू ने उसे भी मार दिया और फिर एक चौथा आदमी मदद के लिए आया तो उसे भी मार दिया। तीन घंटे तक यह खेल उस जोरुदा गांव में चला। चार लोग एक साथ मारे गये हैं। यहां सदन के माननीय नेता बैठे हैं, मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि टाइगर प्रोजैक्ट सन् 2007 में वहां आया और वहां के जो 28 गांवों का पुनर्वास करना है, वह अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन टाइगर प्रोजैक्ट पर अमल कानून के हिसाब से किया जाता है, अधिकारी लोग आदिवासियों को वहां तकलीफ देते हैं, उनकी गाय-भैंस चरने नहीं देते हैं, उनका रहना वहां मुश्किल हो रहा है। अगर उनका पुनर्वास हो जाता तो यह नौबत नहीं आती। सेंसस के हिसाब से वहां पर 59 टाइगर्स हैं, बहुत से भालू वहां हैं और कोई भी हादसा वहां हो सकता है। आज वहां दो लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है लेकिन ट्रेन या प्लेन में मरने पर पांच-पांच लाख का मुआवजा दिया जाता है। मेरी मांग है कि उन्हें भी कम से कम पांच लाख का मुआवजा दिया जाए और जो 19 गांवों के लिए 261 करोड़ रुपये की राशि जो घोषित है लेकिन गवर्नमेंट हर फैमली के लिए कम से कम 10 लाख रुपये देने का वायदा कर चुकी है और वे 19 गांवों के लोग, गाइडलाइन्स के हिसाब से अपना पुनर्वास करने के लिए तैयार है। मेरी मांग है कि वह राशि जल्दी से जल्दी दी जाए, जिससे उनका पुनर्वास शीघ्र हो और जो लोग मारे गये हैं, उनकी फैमली के लिए पांच लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ संजय जायसवाल। उपस्थित नहीं।